सं०: एस-11046/1/2016-जल-II

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

*****

चौथा तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003
दिनांक- 1.04.2016

सेवा में,

प्रधान सचिव/ सचिव,
ग्रामीण जलापूर्ति के प्रभारी,

राज्य: आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडीशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश।

विषय: सूखा जैसी स्थिति के निम्नीकरण के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए कदम।

महोदया/महोदय,

इस मंत्रालय ने सभी राज्यों को पहले ही सूचना दे दी थी कि सूखे जैसी संभावित स्थिति के निम्नीकरण के लिए वे आवश्यक कदम उठाएं।

2. एनआरडीडब्ल्यूपी की प्रत्येक रिलीज के साथ 10% फ्लेक्सी निधि का प्रावधान है। इस निधि को सूखा सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति को न्यून करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

3. विभिन्न राज्यों में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उठाए गए कदमों की स्थिति जानने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक समादेश याचिका दर्ज की गई है।

4. इस प्रकार से एतद्द्वारा अनुरोध है कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आपके राज्य द्वारा उठाए गए उपायों की सूचना दें।

(ख) इस संबंध में उपयोग की गई फ्लेक्सी निधि की राशि की सूचना दें।

अत: अनुरोध है कि इस मंत्रालय द्वारा मांगी गई उपर्युक्त सूचनाएं निश्चित रूप से आज (01.04.2016) अपराह्न 4.40 तक ई-मेल द्वारा rajeshleuman2.ofb@ofb.gov.in और sriva.1966@gmail.com को भेज दें।

(राजेश कुमार)
निदेशक(जल)
दूरभाष-011-24363152

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक(एनआईसी), मंत्रालय की वेबसाइट पर इस पत्र को डालने के अनुरोध सहित।